कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या–एम0ई0–1/2019/ लखनऊ,दिनांक– 07 मार्च, 2019

:::: नियुक्ति पत्र ::::

सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या–11/01/ई–6/2016–17, दिनांक–10 अक्टूबर, 2018 के क्रम में पत्र संख्या–11 (IV)/01/ई–6/2016–17, दिनांक–27 फरवरी, 2019 के द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर **सुश्री प्रीति कुमारी गोंड**, पुत्री श्री गजानन प्रसाद, निवासी–असर्फी नगर कालोनी फेस–2, प्लॉट–85, ग्रा0 मड़ाव, पो0–रोहनिया, वाराणसी को राजकीय एलोपैथिक मेडिकल प्रयागराज के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0) के अन्तर्गत सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय में रिक्त स्टाफ नर्स के पदों पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900–142400 (लेवल–7) में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनाती की जाती हैं : –

1– सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मॅहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

2– सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

3– नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

4– उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम–4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

5– सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

6– उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं प्राग्वृत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

(2)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होगें :–

1– दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3– ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।

4– गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

5– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

6– एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।

7– परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।

8– राजकीय मेडिकल कालेजों में या उससे सम्बन्धित चिकित्सालयों में यदि कोई निकट सम्बन्धी सेवारत हो, तो उसा पूर्ण विवरण आदि।

9– किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युक्त न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर।

10– भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।

(3)– जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेगें।

(4)– अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

(5)– किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या– एम0ई0–1/2019/ 802-812 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1– महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–एक।
3– सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4– प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, को इस आशय से प्रेषित सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन करने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
5– जिलाधिकारी, प्रयागराज। कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापवन कराकर इस कार्यालय के साथ–साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज। कृपया स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
8– वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
9– नोडल अधिकारी (बेवसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
10–सुश्री प्रीति कुमारी गोंड, पुत्री श्री गजानन प्रसाद, निवासी–असर्फी नगर कालोनी फेस–2, प्लॉट–85, ग्रा0 मंड़ाव, पो0–रोहनिया, वाराणसी (उ0प्र0)।
11–गार्ड फाईल।

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक